

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-वन्यप्राणी-09/2006

/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../08/2026

समाहर्ता, बेगूसराय के पत्रांक-1444/रा. दिनांक-09.07.2026 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2002) की धारा-18 (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, मझौल एवं अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, बखरी को उनके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र में कॉवर झील पक्षी आश्रयणी, बेगूसराय के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग के संबंध में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-19 से 25 के अधीन कार्यों/दावों/अधिकारों के निपटारे के लिए समाहर्ता की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-2839 दिनांक-27.11.2009 एवं 153 (ई.) दिनांक-29.01.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-09/2006

/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../08/2026

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/समाहर्ता, बेगूसराय/मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-09/2006

4994

/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../08/2026

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करें।


18.8.2026
(राजीव कुमार)

@सरकार के उप सचिव